



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

प्रयागराज, सोमवार, 26 दिसम्बर, 2022 ई०
(पौष 5, 1944 शक संवत्)

उत्तर प्रदेश, शासन

ऊर्जा विभाग

[ऊर्जा (नि०नि०) प्रकोष्ठ]

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ

अधिसूचना संख्या यू०पी०ई०आर०सी०/सचिव/विनियमावली/2022-644

लखनऊ, दिनांक : 26 दिसम्बर, 2022 ई०

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग,

(उत्पादन संयंत्र और संरक्षित उपभोक्ताओं का सत्यापन) विनियमावली, 2022

विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36) की धारा 181 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धारा 9 के साथ सहपठित और उसमें समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों के साथ, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाता है।

1-संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ-

1.1 यह विनियमावली को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन संयंत्र और संरक्षित उपभोक्ताओं का सत्यापन) विनियमावली, 2022 कहलायेगी।

1.2 यह विनियमावली राजपत्र में उसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

2-उद्देश्य-

इस विनियमावली का उद्देश्य संरक्षित उपभोक्ताओं द्वारा अपने राज्य के भीतर अथवा राज्य के बाहर स्थित संरक्षित उत्पादन संयंत्र () से बिजली आयात करने की दशा में संरक्षित उत्पादन संयंत्रों और संरक्षित उपभोक्ताओं की स्थिति का सत्यापन के लिए एक पद्धति निर्दिष्ट करना है।

3-आवेदन का दायरा और विस्तार-

3.1 यह विनियमावली सभी संरक्षित उत्पादन संयंत्रों (सीजीपी) और उनके संरक्षित उपभोक्ताओं पर लागू होगी।

3.2 यह विनियमावली पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में लागू होगी।

4. परिभाषाएँ-

4.1 इस विनियमावली में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो; -

(अ) "अधिनियम" का अर्थ विद्युत अधिनियम, 2003 से है;

(ब) "संरक्षित उत्पादन संयंत्र" या सीजीपी का अर्थ संरक्षित उत्पादन संयंत्र है जैसा अधिनियम के साथ पठित विद्युत विनियमावली, 2005 के नियम 3 में परिभाषित है;

(स) "संरक्षित उपभोक्ता" का अर्थ अपने स्वयं के संरक्षित उत्पादन संयंत्र से उत्पादित बिजली के अंतिम उपयोगकर्ता से होगा और "संरक्षित उपभोग" शब्द का अर्थ तदनुसार समझा जायेगा;

(द) "विद्युत नियमावली, 2005" का अर्थ है केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नियम जी0एस0आर0 379 (ई) दिनांक 08 जून 2005 और समय-समय पर यथासंशोधित से है;

(य) "वर्ष" का अर्थ 01 अप्रैल से 31 मार्च तक का वित्तीय वर्ष है।

4.2 इस विनियमावली में उपयोग किये गये शब्दों और भावों जो यहां परिभाषित नहीं हैं लेकिन अधिनियम या विद्युत विनियमावली, 2005 या राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य विनियम में परिभाषित किया गया है, जब तक कि अन्यथा संदर्भ की आवश्यकता नहीं है, वही अर्थ होगा जो कि अधिनियम या विद्युत विनियमावली, 2005 या राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट अन्य किसी विनियम के तहत उन्हें निर्दिष्ट किया गया है, जैसे भी स्थिति हो।

5. सीजीपी की स्थिति का सत्यापन-

5.1 सीजीपी और संरक्षित उपभोक्ताओं की स्थिति का सत्यापन मानदंड के अनुसार निर्धारित खपत और इक्विटी शेयर होल्डिंग के आधार पर, जैसा कि इन विनियमावली में निर्दिष्ट है, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् राज्य आयोग द्वारा सीजीपी और उनके संरक्षित उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर प्रतिवर्ष किया जायेगा।

5.2 सीजीपी और उनके संरक्षित उपभोक्ता आयोग के समक्ष निर्दिष्ट प्रारूप में शपथ-पत्र प्रत्येक वर्ष की 15 मई से पहले दाखिल करेंगे जिसमें उनके द्वारा पिछले वर्ष के दौरान बिजली उत्पादन, उपभोक्ता-वार खपत और इक्विटी शेयर होल्डिंग का विवरण होगा।

5.3 सीजीपी और संरक्षित उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर सीजीपी या संरक्षित उपभोक्ता की संरक्षित स्थिति के सत्यापन के लिए आयोग संबंधित आरएलडीसी, एसएलडीसी, वितरण लाइसेंसधारी (जिनके क्षेत्र में सीजीपी या उनके संरक्षित उपभोक्ता स्थित हैं) से सहायता लेगा।

5.4 खपत मानदंड का सत्यापन-

(अ) इकाई(यों) के लिए जिन्हें संरक्षित उपयोग के लिए निर्धारित किया गया है, खपत के मानदंड का सत्यापन शुद्ध बिजली उत्पादन पर आधारित होगा जो कि एक उत्पादन संयंत्र में इस/इन उत्पादन इकाई(यों) से उत्पन्न होती है, यानी, सकल उत्पादित बिजली कम सहायक खपत।

(ब) शुद्ध उत्पादित बिजली का निर्धारण वर्ष की समाप्ति पर वार्षिक आधार पर किया जायेगा।

(स) विभिन्न प्रकार के संरक्षित उपभोक्ताओं के लिए सत्यापन मानदंड निम्नानुसार होंगे:

क्र० सं०	संरक्षित उपभोक्ता का प्रकार	मानदंड
i	एकल संरक्षित उपभोक्ता	वार्षिक आधार पर स्व-उपभोग उत्पादित शुद्ध बिजली का 51% से कम नहीं होगा ।
ii	पार्टनरशिप फर्म/सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी)	वार्षिक आधार पर स्व-उपभोग उत्पादित शुद्ध बिजली का 51% से कम नहीं होगा ।
iii	व्यक्तियों का संघ (एओपी)	संरक्षित उपभोक्ताओं का वार्षिक आधार पर संरक्षित उपभोग के लिये उत्पादित शुद्ध बिजली का उपभोग 51% से कम नहीं होगा जो कि उत्पादन संयंत्र में उनके हिस्से के अनुपात एवं जिसकी भिन्नता 10% से अधिक नहीं होगी ।
iv	सहकारी समिति	समिति के सदस्य सामूहिक रूप से वार्षिक आधार पर उत्पादित शुद्ध बिजली का 51% से कम नहीं उपभोग करेंगे ।
v	स्पेशल परपज विहेकल (एसपीवी)	संरक्षित उपभोक्ता(ओं) का उपभोग वार्षिक आधार पर उत्पन्न शुद्ध बिजली का 51% से कम नहीं होगा जो कि संरक्षित उपभोग के लिए निर्धारित की गयी संरक्षित इकाइयों में उनके शेयरों के अनुपात में होगा ।

*संरक्षित उपभोक्ता (उपभोगकर्ताओं) की स्वयं की खपत का अर्थ संरक्षित उत्पादन संयंत्र के उपभोक्ता मीटर पर संरक्षित उपभोक्ता (ओं) द्वारा खपत तथा लागू नारमेटिव पारेषण और व्हीलिंग घाटे जो संबंधित वर्ष के लिए एआरआर में अनुमोदित है को जोड़ते हुये है ।

(द) सीजीपी से उत्पादन और संरक्षित उपभोक्ता (उपभोक्ताओं) द्वारा खपत से संबंधित विवरण के आकलन की विधि :

क्र० सं०	स्थान	मूल्यांकन की विधि
i	सीजीपी और उसके संरक्षित उपभोक्ता(ओं) सह-स्थित हैं	<p>(i) सीजीपी के लिए: सीजीपी से शुद्ध उत्पादन और संरक्षित उपभोक्ता द्वारा खपत अन्तःक्षेपण पक्ष (उत्पादन मीटर) पर उत्पादन के अभिलेखन के लिये स्थापित मीटर की रीडिंग के आधार पर होगा ।</p> <p>(ii) संरक्षित उपभोक्ता के लिए: बिजली स्रोत खपत पक्ष पर ("उपभोक्ता मीटर") ।</p>
ii	सीजीपी एवं उसके संरक्षित उपभोक्ता राज्य के भीतर स्थित हैं। (लेकिन सह स्थित नहीं),	<p>(i) सीजीपी के लिए: यूपीएसएलडीसी द्वारा उपलब्ध कराये गये सीजीपी के वास्तविक अन्तःक्षेपण के आंकड़ों पर</p> <p>(ii) संरक्षित उपभोक्ताओं के लिए: यूपीएसएलडीसी और वितरण अनुज्ञप्तिधारी जिनके क्षेत्र में उपयोगकर्ता (ओं) स्थित हैं द्वारा उपलब्ध करायी गयी ग्रिड के साथ उपयोगकर्ता अंतरफलक पर मीटर रीडिंग के आधार, तदनुसार खपत या वास्तविक खपत जो भी कम हो ।</p>
iii	सीजीपी और उसके संरक्षित उपयोगकर्ता विभिन्न राज्यों में स्थित है/हैं	<p>(i) सीजीपी के लिए: आरएलडीसी/यूपीएसएलडीसी द्वारा उपलब्ध कराये गये सीजीपी के वास्तविक अन्तःक्षेपण के आंकड़ों पर</p> <p>(ii) संरक्षित उपभोक्ताओं के लिए: प्राप्तकर्ता राज्य अथवा राज्यों से संबंधित एसएलडीसी और वितरण अनुज्ञप्तिधारी जिनके क्षेत्र में उपयोगकर्ता (ओं) स्थित हैं द्वारा उपलब्ध करायी गयी ग्रिड के साथ उपयोगकर्ता अंतरफलक पर मीटर रीडिंग के आधार, तदनुसार खपत या वास्तविक खपत जो भी कम हो ।</p>

*संरक्षित उपभोक्ता (उपभोगकर्ताओं) की स्वयं की खपत का अर्थ संरक्षित उत्पादक संयंत्र के उपभोक्ता मीटर पर संरक्षित उपभोक्ता (ओं) द्वारा खपत तथा लागू नारमेटिव पारेषण और व्हीलिंग घाटे जो संबंधित वर्ष के लिए एआरआर में अनुमोदित है को जोड़ते हुये है।

5.5 इक्विटी शेयर होल्डिंग मानदंड का सत्यापन

(अ) विभिन्न प्रकार के सीजीपी के लिए सत्यापन मानदंड इस प्रकार होंगे :

क्र० सं०	कैप्टिव उपयोगकर्ता का प्रकार	मानदंड	समर्थन दस्तावेज
i	एकल संरक्षित उपभोक्ता	उपयोगकर्ता वर्ष भर मतदान के अधिकार वाली पूंजी के 26% इक्विटी शेयर से कम धारण नहीं करेगा।	कंपनी सचिव द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
ii	पार्टनरशिप फर्म/सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी)	संरक्षित संयंत्र में स्वामित्व वार्षिक आधार पर उत्पादन संयंत्र या विद्युत संयंत्र में वार्षिक आधार पर 26% से कम स्वामित्व हित एवं नियंत्रण नहीं होगा	कंपनी सचिव द्वारा जारी प्रमाण-पत्र
iii	व्यक्तियों का संघ (एओपी)	संरक्षित उपभोक्ता कुल स्वामित्व /प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी मतदान के अधिकार के साथ साल भर 26% से कम धारण नहीं करेंगे	पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
iv	सहकारी समिति	सहकारी समिति के सदस्य सामूहिक रूप से 26 प्रतिशत से कम स्वामित्व वार्षिक आधार पर संतुष्ट नहीं करेंगे।	सहकारी समिति के जिला पंजीयक द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
v	स्पेशल परपज विहेकल (एसपीवी)/कम्पनी	संरक्षित उपभोक्ता (ओं) संरक्षित उपयोग के लिए पहचान की गई इकाइयों में सकल रूप से आनुपातिक प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी, मतदान अधिकार के साथ वार्षिक 26 प्रतिशत से कम धारण नहीं करेगा (यानी की इक्विटी के अनुपात में कंपनी से संबंधित उत्पादन इकाई या सीजीपी के रूप में पहचानी गयी इकाइयाँ)	पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।

6. संरक्षित उपभोक्ता स्थिति को पूरा करने में विफलता का परिणाम—

6.1 संरक्षित उपभोक्ता आपूर्ति शुरू होने की तारीख से पहले संरक्षित खपत की 51 प्रतिशत के बराबर अनुमानित प्रतिभूति निक्षेप, जो कि क्रॉस सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार के विरुद्ध भुगतान सुरक्षा होगी जैसा कि राज्य आयोग द्वारा निर्धारित किया जाये, बगैर शर्त और अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी के रूप में संबंधित वितरण लाइसेंसधारी को जमा करेंगे जिसकी वैधता अगले वर्ष के 15 जुलाई तक होगी।

6.2 प्रत्येक वर्ष अनुमानित संरक्षित खपत के 51 प्रतिशत के समतुल्य राशि की बैंक गारंटी को 31 मई तक पूरे वर्ष के लिए नवीनीकरण/संशोधित जो 15 जुलाई की समाप्ति तिथि या आयोग द्वारा संरक्षित संरचना का सत्यापन के, जो भी पहले हो, तक किया जाना चाहिए। यदि बैंक गारंटी का 15 जुलाई की समाप्ति तिथि से पहले 31 मई तक नवीनीकरण/संशोधन नहीं हुआ है तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बैंक गारंटी का क्रॉस-सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार या कोई अन्य लागू ओपन एक्सेस शुल्क के मद में आह्वान किया जायेगा।

बशर्ते कि क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज एवं अतिरिक्त सरचार्ज से अन्य असंरक्षित उपभोक्ताओं को कोई छूट नहीं होगी जो इस संरक्षित उत्पादन संयंत्र से विद्युत प्राप्त कर रहे हैं

6.3 यदि सीजीपी या संरक्षित उपभोक्ता, वित्तीय वर्ष के अंत तक, विद्युत नियम 2005 के नियम 3 एवं इन विनियमों, समय-समय पर संशोधित, जैसा भी मामला हो, में विनिर्दिष्ट स्वामित्व और/या खपत के मानदंडों को पूरा करने में विफल रहता है, ऐसे सीजीपी या संरक्षित उपभोक्ता उसके लिए अपनी संरक्षित स्थिति उस वर्ष के लिये खो देंगे एवं ओपेन एक्सेस उपभोक्ताओं पर लागू अन्य चार्जज के अतिरिक्त क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज एवं अतिरिक्त अधिभार आरोपित किया जायेगा जो कि संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को देय होगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बैंक गारंटी का ओपेन एक्सेस उपभोक्ताओं पर लागू अन्य चार्जज के अतिरिक्त क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज एवं अतिरिक्त अधिभार को वसूल करने हेतु आह्वान किया जायेगा।

7. विस्तृत प्रक्रिया—

सीजीपी और संरक्षित उपभोक्ताओं की स्थिति के सत्यापन के लिए विस्तृत प्रक्रिया विद्युत नियमावली, 2005 और इस विनियमावली के प्रावधान के अनुसरण में संलग्नक—(1) दिया गया है।

8. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—

यदि इस विनियमावली के प्रावधानों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य आयोग सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा ऐसे प्रावधान कर सकता है जो कि अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है, जैसा कि कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत होता है।

9. संशोधन करने की शक्ति—

आयोग किसी भी समय इस विनियमावली के किसी भी प्रावधान में अधिसूचना द्वारा परिवर्तन, संशोधन या सुधार कर सकता है।

आयोग के आदेशानुसार,
(संजय कुमार सिंह)
सचिव

संलग्नक—1 (विस्तृत प्रक्रिया)

1. यह प्रक्रिया संरक्षित उत्पादन संयंत्र एवं संरक्षित उपयोगकर्ताओं की स्थिति के सत्यापन की एक पद्धति प्रदान करती है, जब उपभोक्ता संरक्षित उत्पादन संयंत्र(ओं) जो राज्य के भीतर या राज्य के बाहर स्थिति हैं से विद्युत का आयात करता है जैसा कि विद्युत नियम, 2005 के नियम 3 के उप नियम 1 की शर्त में निर्दिष्ट है:

1.1 सीजीपी स्वामित्व/संरक्षित उपयोगकर्ता के स्वामित्व की विभिन्न संरचनायें नीचे सूचीबद्ध हैं :

(अ) **कंपनी** : कंपनी का अर्थ कंपनी अधिनियम 2013 या किसी पूर्व कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत निगमित कंपनी है

(ब) **व्यक्तियों का संघ** : धर्मार्थ उद्देश्यों वाली कंपनियों का निर्माण, आदि जहां केंद्र सरकार की संतुष्टि के लिए यह साबित हो जाता है कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों का एक संघ सीमित कंपनी के रूप में इस अधिनियम के तहत पंजीकृत होने के लिए प्रस्तावित है।

(स) **स्पेशल पर्पज व्हीकल** : "स्पेशल पर्पज व्हीकल" का अर्थ एक कानूनी इकाई होगा जो उत्पादन संयंत्र का स्वामित्व, संचालन और रख-रखाव के अतिरिक्त और कोई अन्य व्यवसाय या कानूनी इकाई द्वारा की जाने वाली गतिविधि नहीं करेगा।

(द) **पंजीकृत सहकारी समिति** : पंजीकृत होने में सक्षम कंपनियां, इस भाग के लिए, सहकारी समिति, समिति या लागू कोई अन्य कानून के तहत गठित व्यावसायिक इकाई जो इस भाग में पंजीकरण के लिये आवेदन करता है।

1.2 इक्विटी शेयर होल्डिंग के सत्यापन के लिए, सीजीपी स्वामी/संरक्षित उपयोगकर्ताओं द्वारा नीचे दिये गये विवरण के अनुसार स्वामित्व की विभिन्न संरचनाओं के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :-

क्र० सं०	कैप्टिव उपयोगकर्ता का प्रकार	मानदंड	समर्थन दस्तावेज
i	एकल संरक्षित उपभोक्ता	उपयोगकर्ता वर्ष भर मतदान के अधिकार वाली पूंजी के 26% इक्विटी शेयर से कम धारण नहीं करेगा।	कंपनी सचिव द्वारा जारी प्रमाण-पत्र फार्म-एसएच4 की कापी के साथ प्रारूप के अनुसार संरक्षित उत्पादन कम्पनी में अधिकृत, जारी, सबक्राइड और पेड अप इक्विटी शेयर पूंजी मताधिकार के साथ, का विवरण अथवा डीमैट विवरण, जो भी लागू हो एवं संरक्षित उत्पादक की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट एवं कोई अन्य सहायक दस्तावेज।
ii	पार्टनरशिप फर्म/सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी)	संरक्षित संयंत्र में स्वामित्व वार्षिक आधार पर उत्पादन संयंत्र या विद्युत संयंत्र में वार्षिक आधार पर 26% से कम स्वामित्व हित एवं नियंत्रण नहीं होगा।	कंपनी सचिव द्वारा जारी प्रमाण-पत्र फार्म-एसएच4 की कापी एवं प्रारूप के अनुसार संरक्षित उत्पादन कम्पनी में अधिकृत, जारी, सबक्राइड और पेड अप इक्विटी शेयर पूंजी मताधिकार के साथ, का विवरण एवं इस प्रमाण के साथ कि साझेदारी विलेख में संरक्षित उत्पादन करने का प्रावधान हो अथवा डीमैट विवरण, जो भी लागू हो।
iii	व्यक्तियों का संघ (एओपी)	संरक्षित उपभोक्ता कुल स्वामित्व/प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी मतदान के अधिकार के साथ साल भर 26% से कम धारण नहीं करेंगे।	पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रारूप के अनुसार अधिकृत, जारी, सबक्राइड और पेड अप इक्विटी शेयर पूंजी मताधिकार के साथ कि संरक्षित उपभोक्ता कुल स्वामित्व/प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी मतदान के अधिकार के साथ साल भर 26% से कम धारण नहीं करेंगे।
iv	सहकारी समिति	सहकारी समिति के सदस्य सामूहिक रूप से 26% से कम स्वामित्व वार्षिक आधार पर संतुष्ट नहीं करेंगे।	सहकारी समिति के जिला पंजीयक द्वारा जारी अधिकृत, जारी, सबक्राइड और पेड अप इक्विटी शेयर पूंजी का प्रमाण-पत्र एवं अन्य सहायक दस्तावेज।
v	स्पेशल परपज विहेकल (एसपीवी)/कम्पनी	संरक्षित उपभोक्ता (ओं) संरक्षित उपयोग के लिए पहचान की गई इकाइयों में सकल रूप से आनुपातिक प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी, मतदान अधिकार के साथ वार्षिक 26% से कम धारण नहीं करेगा (यानी की इक्विटी के अनुपात में कंपनी से संबंधित उत्पादन इकाई या सीजीपी के रूप में पहचानी गयी इकाइयों)	पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रारूप के अनुसार जारी अधिकृत, जारी, सबक्राइड और पेड अप इक्विटी शेयर पूंजी का प्रमाण-पत्र एवं अन्य सहायक दस्तावेज।

1.3 सीजीपी स्थिति का सत्यापन एक वार्षिक प्रक्रिया है। पैरा 1.2 में वर्णित दस्तावेज भी सीजीपी स्वामित्व, संरक्षित उपयोगकर्ताओं द्वारा यूपी विद्युत नियामक को सीजीपी स्थिति का वार्षिक सत्यापन वित्तीय वर्ष के अन्त के समय या आगामी वर्ष के 15 मई को या उससे पहले प्रस्तुत करने होंगे। इसके अतिरिक्त संरक्षित उपयोगकर्ताओं द्वारा जिस वर्ष का संरक्षित सत्यापन किया जा सकता है उस वर्ष की प्राविजनल बैलेंस शीट प्रस्तुत की जा सकती है और पिछले वित्तीय वर्ष के नवीनतम आडिटेड बैलेंस शीट जो 15 मई तक उपलब्ध हैं, प्रस्तुत कर सकता है।

1.4 राज्य के बाहर स्थित सीजीपी से आपूर्ति प्राप्त करने वाले संरक्षित उपयोगकर्ता (उपयोगकर्ताओं) के मामले में, ऐसे संरक्षित उपयोगकर्ता अपने सीजीपी की सीजीपी स्थिति को प्रकट करने वाले दस्तावेजों को संरक्षित उपयोगकर्ता(ओं) के सीजीपी स्थिति को प्रमुखता से दिखाते हुये अग्रेषित करेंगे।

2. संरक्षित उपयोगकर्ताओं द्वारा 51% से कम नहीं खपत का सत्यापन:

2.1 सीजीपी इकाई से शुद्ध उत्पादन इकाई से उत्पन्न सकल ऊर्जा कम कुल सहायक खपत होगी।

क्र० सं०	स्थिति	मूल्यांकन का तरीका
i	सीजीपी और उसके संरक्षित उपभोक्ता(ओं) सह-स्थित हैं	<p>(i) सीजीपी के लिए : सीजीपी से शुद्ध उत्पादन और संरक्षित उपभोक्ता द्वारा खपत अन्तःक्षेपण पक्ष (उत्पादन मीटर) पर उत्पादन के अभिलेखन के लिये स्थापित मीटर की रीडिंग के आधार पर होगा।</p> <p>(ii) संरक्षित उपभोक्ता के लिए : बिजली स्रोत खपत पक्ष पर ("उपभोक्ता मीटर")।</p>
ii	सीजीपी एवं उसके संरक्षित उपभोक्ता राज्य के भीतर स्थित हैं। (लेकिन सह स्थित नहीं),	<p>(i) सीजीपी के लिए : यूपीएसएलडीसी द्वारा उपलब्ध कराए गए सीजीपी के वास्तविक अन्तःक्षेपण के आंकड़ों पर</p> <p>(ii) संरक्षित उपभोक्ताओं के लिए : यूपीएसएलडीसी और वितरण अनुज्ञप्तिधारी जिनके क्षेत्र में उपयोगकर्ता (ओं) स्थित हैं द्वारा उपलब्ध करायी गयी ग्रिड के साथ उपयोगकर्ता अंतरफलक पर मीटर रीडिंग के आधार, तदनुसार खपत या वास्तविक खपत जो भी कम हो।</p>
iii	सीजीपी और उसके संरक्षित उपयोगकर्ता विभिन्न राज्यों में स्थित है/हैं	<p>(i) सीजीपी के लिए : आरएलडीसी/यूपीएसएलडीसी द्वारा उपलब्ध कराए गए सीजीपी के वास्तविक अन्तःक्षेपण के आंकड़ों पर</p> <p>(ii) संरक्षित उपभोक्ताओं के लिए : प्राप्तकर्ता राज्य अथवा राज्यों से संबंधित एसएलडीसी और वितरण अनुज्ञप्तिधारी जिनके क्षेत्र में उपयोगकर्ता (ओं) स्थित हैं द्वारा उपलब्ध करायी गयी ग्रिड के साथ उपयोगकर्ता अंतरफलक पर मीटर रीडिंग के आधार, तदनुसार खपत या वास्तविक खपत जो भी कम हो।</p>

*संरक्षित उपभोक्ता (उपभोक्ताओं) की स्वयं की खपत का अर्थ संरक्षित उत्पादन संयंत्र के उपभोक्ता मीटर पर संरक्षित उपभोक्ता(ओं) द्वारा खपत तथा लागू नारमेटिव पारेषण और व्हीलिंग घाटे जो संबंधित वर्ष के लिए एआरआर में अनुमोदित है को, जोड़ते हुये है।

2.2 आवेदक विद्युत् संयंत्र से सकल, सहायक और शुद्ध-उत्पादन का विवरण और संरक्षित उपयोगकर्ताओं द्वारा की गई वास्तविक खपत "उत्तर प्रदेश विद्युत् नियामक आयोग" और वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तुत करेगा।

2.3 संरक्षित स्थिति के तहत संयंत्र की नेट-जेनरेशन की गणना के लिए संयंत्र के पहले वर्ष के लिए 'वार्षिक आधार' के संरक्षित स्थिति के निर्धारण के लिए, ग्रिड में ऊर्जा डालने की तिथि को वित्तीय वर्ष का प्रारंभ माना जायेगा। बाद के वर्ष से, उत्पादन संयंत्र के शुद्ध उत्पादन को 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के वित्तीय वर्ष की संरक्षित स्थिति निर्धारित करने के लिए विचार किया जायेगा।

2.4 शुद्ध बिजली के 51% से कम नहीं होने के उपभोग मानदंड का सत्यापन और एओपी और एसपीवी की आनुपातिक खपत का परीक्षण, वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाएगा।

3. सत्यापन प्राधिकरण :

3.1 मानदंड के संबंध में सीजीपी और संरक्षित उपयोगकर्ताओं की स्थिति का सत्यापन खपत और इक्विटी शेयर होल्डिंग, जैसा कि बिजली नियमों 2005 के तहत निर्धारित है, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद उत्तर प्रदेश विद्युत् नियामक आयोग द्वारा प्रतिवर्ष किया जायेगा, सीजीपी और संरक्षित उपयोगकर्ता/उपयोगकर्ताओं) द्वारा आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रस्तुत सूचना के आधार पर और आरएलडीसी, यूपीएसएलडीसी/अन्य राज्य एसएलडीसी (यदि लागू हो) और वितरण लाइसेंसधारी की रिपोर्ट की प्राप्ति के बाद किया जायेगा।

3.2 आयोग सीजीपी द्वारा दावा किये गये संरक्षित खपत डेटा, संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, जिसमें उपभोग की बात कही गई है, द्वारा सत्यापित करायेगा।

3.3 संरक्षित उत्पादन संयंत्र या संरक्षित उपयोगकर्ता यदि 15 मई तक यह निर्दिष्ट डेटा और दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है तब संरक्षित स्थिति खो देंगे, यह पिछले वर्ष की संरक्षित स्थिति को खो देगा और उसकी सुरक्षा जो बैंक गारंटी के माध्यम से है वो वितरण अनुज्ञप्तिधारी के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी। (चालू वर्ष के लिए नई बैंक गारंटी प्रस्तुत की जायेगी)।

4. सीजीपी की योग्यता की समाप्ति :

(क) यदि सीजीपी एक वित्तीय वर्ष में खण्ड 1.2 और/या 2.1 में निर्दिष्ट अपेक्षित शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है तो उत्पादन संयंत्र संरक्षित उत्पादन संयंत्र नहीं रहेगा और उपयोगकर्ता संरक्षित उपयोगकर्ता नहीं रहेंगे और क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज और/या अतिरिक्त सरचार्ज और/या लेट भुगतान अधिभार और/या खुली पहुँच पर लागू ऐसे अन्य शुल्क भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होंगे।

5. शेयरधारक(कों) द्वारा चूक :

(अ) जब एक शेयरधारक(ओं) नियम 3 के उपभोग मानदंड को पूरा करने में चूक करता है, और जब अन्य संरक्षित उपयोगकर्ता मिलकर 26% के स्वामित्व मानदंड का पालन नहीं करते हैं, तो सीजीपी अपनी संरक्षित स्थिति खो देगा, और संरक्षित उपभोक्ता को उस वित्तीय वर्ष के लिये कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी।

6. भुगतान में चूक :

(अ) खुली पहुँच के उपभोक्ता द्वारा देय किसी भी शुल्क या राशि का भुगतान न करना विद्युत् अधिनियम, 2003 के तहत गैर-अनुपालन के रूप में कारवाई के लिये उत्तरदायी होगा।

(ब) वितरण लाइसेंसधारी उपभोक्ता का इस तरह के शुल्क वसूलने के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 15 दिनों की अग्रिम सूचना देने के बाद खुली पहुँच बंद कर सकता है।

प्रारूप

(संरक्षित उत्पादन संयंत्र द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

विद्युत नियम, 2005 के नियम 3 के अनुसार "स्वामित्व" पर प्रमाण-पत्र"

हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि वोटिंग अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर पूंजी (कंपनी का नाम) एकल संरक्षित उपयोगकर्ता/साझेदारी फर्म/एलएलपी/एओपी/एसपीवी के रूप में गठित है, जिसका पंजीकृत कार्यालय बिजली नियम, 2005 के नियम 3 के तहत "स्वामित्व" मानदंड के संदर्भ में संरक्षित उत्पादन संयंत्र के रूप में आवश्यक अर्हताओं को पूरा करता है। अन्य उपयोगकर्ताओं की तुलना में कैपिटल उपयोगकर्ता द्वारा धारित कंपनी के वोटिंग अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर कैपिटल में होल्डिंग के प्रतिशत सहित जारी, सब्सक्राइब्ड और पेड-अप इक्विटी शेयर पूंजी का विस्तृत ब्रेकअप नीचे सारणीबद्ध किया गया है।

इक्विटी शेयर कैपिटल कैपिटल उपयोगकर्ता/अन्य जिनके पास वोटिंग का अधिकार है

क्रम सं०	शेयर धारक संरक्षित उपयोगकर्ता/अन्य की श्रेणी	इक्विटी शेयरों की श्रेणी	इक्विटी शेयरों की संख्या	मूल्य प्रति इक्विटी शेयर	इक्विटी शेयर पूंजी की राशि	इक्विटी शेयर पूंजी में प्रतिशत हिस्सेदारी	मतदान अधिकारों की संख्या	वोटिंग राइट्स में प्रतिशत हिस्सेदारी	इक्विटी शेयर में प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ मतदान अधिकार
----------	----------------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	-------------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------------------------

योग

कृपया निम्नलिखित संलग्न करें :

अनुलग्नक

1. संरक्षित उपयोगकर्ता की नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट की प्रति।

अ) उपरोक्त के लिए शेयर प्रमाण-पत्र की प्रति।

ब) एसएच-4 सर्टिफिकेट की प्रति।

स्थान:

दिनांक:

लेखाकार/कंपनी सचिव के हस्ताक्षर :

नाम :

सदस्यता सं :

फर्म का नाम :

फर्म पंजीकरण संख्या :

(उत्पादक द्वारा प्रस्तुत किया जाना है जो एक सीमित देयता है साझेदारी फर्म)

विद्युत नियम, 2005 के नियम 3 के अनुसार 'स्वामित्व' पर प्रमाण-पत्र, संरक्षित श्रेणी के तहत व्हीलिंग के लिए

हम इसके द्वारा प्रमाणित करते हैं कि मैसर्स, एक साझेदारी फर्म जिसका पंजीकृत कार्यालय में है, विद्युत नियम, 2005 के नियम 3 के तहत संरक्षित उत्पादन संयंत्र के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यकताओं को पूरा करती है, साझेदारी डीड के अनुसार "स्वामित्व" मानदंड के अनुसार एचटी एससी नं० का ई.डी.सी. हम पुष्टि करते हैं कि संरक्षित उपभोक्ता संरक्षित उत्पादन संयंत्र पर स्वामित्व हित और नियंत्रण रखते हैं।

साझेदारी फर्म में प्रत्येक भागीदार के स्वामित्व का विस्तृत विवरण तालिका अ में नीचे सारणीबद्ध किया गया है। इसके अलावा, संरक्षित उपयोगकर्ता द्वारा धारित संरक्षित उत्पादन संयंत्र के संबंध में अन्य उपयोगकर्ताओं की तुलना में स्वामित्व हित और नियंत्रण का विशिष्ट विवरण तालिका ब में नीचे सारणीबद्ध किया गया है :

तालिका 'अ'

साझेदारी फर्म के संरक्षित उत्पादन संयंत्र का स्वामित्व

क्रम संख्या	भागीदार का नाम	पूँजी योगदान	पूँजी योगदान का %	लाभ में शेयरिंग अनुपात	क्या पूँजी योगदान के अनुपात में नियंत्रण है?	नियंत्रण पैटर्न पर टिप्पणी*
-------------	----------------	--------------	-------------------	------------------------	----------------------------------------------	-----------------------------

योग

*कृपया प्रासंगिक कॉलम में टिप्पणी प्रदान करें कि क्या नियंत्रण पूँजी योगदान के अनुपात में है? उपरोक्त विवरण के सत्यापन के लिये साझेदारी विलेख को संलग्न करें।

तालिका 'ब'

साझेदारी फर्म के संरक्षित उत्पादन संयंत्र का स्वामित्व

स्वामी का प्रकार	संरक्षित उत्पादन संयंत्र में स्वामित्व हित का %	क्या नियंत्रण स्वामित्व हित के अनुपात में है?	नियंत्रण पैटर्न पर टिप्पणी
संरक्षित उपभोक्ता	एचटी. एससी. नं0	ईडीसी	

अन्य

योग

(सीमित देयता साझेदारी फर्म के संरक्षित उपयोगकर्ताओं (स्वामियों) द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)

लेखा परीक्षक का प्रमाण-पत्र

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि संरक्षित उपभोक्ता नाम, कंपनी अधिनियम, 2013 (या पहले के अधिनियम) के तहत निगमित एक कंपनी है और जिसका में पंजीकृत कार्यालय है एचटी एससी नं0 के साथ पर ईडीसी एक भागीदार है जिसका पूँजी योगदान रू0 नियंत्रण करने वाले हित के साथ जो कि प्रतिशत जो कि संरक्षित उत्पादन संयंत्र फर्म (नाम) में उत्पादन संयंत्र क्षमता अन्तर्गत एचटी एससी नं0 पर आज दिनांक को ईडीसी।

कृपया निम्नलिखित संलग्न करें:

अनुलग्नक

1. संरक्षित उपयोगकर्ता की नवीनतम अंकेक्षित बैलेंस शीट की प्रति।
2. नवीनतम साझेदारी विलेख की प्रति।

हस्ताक्षर :

नाम :

सदस्यता सं :

फर्म का नाम :

फर्म पंजीकरण संख्या :

भागीदार का नाम :

सदस्यता सं0 :

आयोग के आदेशानुसार,
संजय कुमार सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग।

UTTAR PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**Notification No. UPERC/Secy./Regulation/2022/644***Lucknow: dated : December 26, 2022*

In exercise of powers conferred by Sub section (1) of section 181, read with section 9 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in that behalf, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Regulation.

1. Short Title and Commencement

- 1.1 These regulations shall be called the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Verification of Generating Plants and Captive Consumers) Regulation, 2022.
- 1.2 These regulations shall come into force from the date of notification in the Official Gazette.

2. Objective

The objective of these regulations is to specify a methodology for verification of status of captive generating plants and captive users, when Captive consumers import power from their respective captive generator(s) located either within the State or outside the State.

3. Scope and Extent of Application

- 3.1 These regulations shall apply to all the captive generating plants (CGP) and their captive users.
- 3.2 These regulations shall extend to the whole of the State of Uttar Pradesh.

4. Definitions

4.1 In these regulations, unless the context otherwise requires; –

- (a) “Act” means the Electricity Act, 2003;
- (b) “Captive generating plant” or CGP means a captive generating plant as defined in the Act read with Rule 3 of the Electricity Rules, 2005;
- (c) “Captive User” shall mean the end user of the electricity generated from its own Captive Generating Plant and the term “Captive Use” shall be construed accordingly;
- (d) “Electricity Rules, 2005” means the Rules notified by the Central Government vide G.S.R. 379 (E) dated 8th June 2005 and as amended from time to time;
- (e) 'Year' means a financial year from 1st April to 31st March.

4.2 Words and expressions used in these regulations and not defined herein but defined in the Act, or the Electricity Rules, 2005 or any other regulations specified by the State Commission shall, unless the context otherwise requires, have the meanings assigned to them under the Act or the Electricity Rules, 2005 or any other regulations specified by the State Commission, as the case may be.

5. Verification of Status of CGP

5.1 Verification of status of CGP and captive users with respect to the criteria of consumption and equity share holding, as prescribed under these regulations, shall be done annually by the State Commission after the end of financial year based on the information submitted by the CGP and their Captive User(s).

5.2 The CGP and their Captive User(s) shall file affidavit in specified format(s) before the Commission giving details regarding their electricity generation, user-wise consumption and equity share holding during the previous year before 15th May of each year.

5.3 The Commission shall take assistance of the concerned RLDC, SLDC, Distribution Licensees (in whose area the CGP or their Captive User(s) are located) for the verification of captive status of CGP or Captive Users based on the affidavit submitted by such CGP and captive users.

5.4 Verification of consumption *criteria*

(a) For unit(s) which has/have been identified for captive use, verification of criteria of consumption shall be based on the net electricity generated from this/these generating unit(s) in a generating station, *i.e.*, gross electricity generated less auxiliary consumption.

(b) The net electricity generated shall be determined on annual basis at the end of the year.

(c) Verification criteria for various types of captive users shall be as follows:

Sl. No.	Type of captive user	Criteria
<i>i</i>	Single captive user	The self-consumption shall not be less than 51% of the net electricity generated on an annual basis.
<i>ii</i>	Partnership firm/Limited Liability Partnership (LLP)	The self-consumption shall not be less than 51% of the net electricity generated on an annual basis.
<i>iii</i>	Association of Persons (AoP)	The captive users shall consume not less than 51% of the net electricity generated on annual basis for captive use in proportion to their share in the power plant within the variation not exceeding 10%.
<i>iv</i>	Co-operative Society	Members of Society shall collectively consume not less than 51% of the net electricity generated on annual basis.
<i>v</i>	Special Purpose Vehicle (SPV)	The captive user(s) shall consume not less than 51% of the net electricity generated on annual basis in proportion to their shares in the units identified for captive use.

*Self-consumption of captive user (s) mean consumption by captive user(s) at the consumer meter of the captive generating plant adding normative transmission and wheeling losses as applicable and as approved in the ARR for the corresponding year.

(d) Manner of assessment of data related to generation from CGP and consumption by captive user(s) :

Sl. No.	Location	Method of assessment
1	2	3
<i>i.</i>	CGP and its captive user(s) are co-located	<p>(i) For CGP:</p> <p>Net generation from the CGP and consumption by the captive user shall be based on the reading of the meter installed for recording the generation at the injection side (“generation meter”).</p> <p>(ii) For Captive User:</p> <p>The electricity sourced at the consumption side (“consumption meter”).</p>

1	2	3
ii.	CGP and its captive users are located within the State (but not co-located),	<p>(i) For CGP: Based on actual injection from the CGP as per the data provided, by UPSLDC.</p> <p>(ii) For Captive Users: The corresponding consumption or the actual consumption whichever is lower, based on the meter reading at the user interface with the grid as provided by, UPSLDC and the distribution licensees in whose area the user(s) are located.</p>
iii.	The CGP and its captive user(s) is/are located in different States	<p>(i) For CGP: Based on actual injection from the CGP as per the data provided, by the respective RLDC/UPSLDC.</p> <p>(ii) For Captive User(s): The corresponding consumption or the actual consumption whichever is lower, based on the meter reading at the user interface with the grid as provided by the concerned SLDC of the recipient state(s) and the distribution licensees in whose area the user(s) are located.</p>

*Self-consumption of captive user (s) mean consumption by captive user(s) at the consumer meter of the captive generating plant adding normative transmission and wheeling losses as applicable and as approved in the ARR for the corresponding year.

5.5 Verification of equity share holding criteria

(a) Verification criteria for various types of CGP shall be as follows:

Sl. No.	Type of Captive user	Criteria	Support Document
1	2	3	4
i	Single captive user	The user shall hold not less than 26% of the equity share capital having voting rights throughout the year	A certificate from the Company Secretary.
ii	Partnership firm/LLP	Ownership in the captive plant shall be not less than 26% proprietary interest and control over the generating station or power plant on annual basis.	A certificate from the Company Secretary.
iii	AoP	The captive users shall hold an aggregate of not less than 26% of the ownership/paid up equity share capital with voting rights throughout the Year.	A certificate from a registered Chartered Accountant.
iv	Co-operative Society	Members of society shall collectively satisfy not less than 26% of the ownership on annual basis.	A certificate from District Registrar of Co-operative Society.
v	SPV/ Company	The captive user(s) shall hold an aggregate of not less than 26% of the proportionate paid up equity share capital with voting rights of the units identified for captive use (<i>i.e.</i> the proportionate of the Equity of the company related to the generating unit or units identified as the CGP) throughout the year.	A certificate from a registered Chartered Accountant.

6. Consequence of failure to meet Captive user status

6.1 The Captive user(s) shall deposit before the date of commencement of supply having validity up to by 15th July of following year, the security deposit in the form of unconditional and irrevocable Bank Guarantee equivalent to 51% captive consumption, to the concerned distribution licensee as payment security against estimated cross subsidy surcharge and additional surcharge as may be decided by the State Commission.

6.2 The Bank guarantee should be renewed/ revised of amount equivalent to 51% of its estimated captive consumption for the entire year by 31st of May every year before its expiry date of 15th July or after completion of captive verification by the Commission, whichever comes first. In case Bank guarantee not renewed/ revised by 31st of May before its expiry date of 15th July the Bank guarantee shall be invoked by the Distribution licensee to wards its cross-subsidy surcharge and additional surcharge or any other applicable Open access charges.

Provided that there shall be no exemption from Cross-Subsidy Surcharge and Additional Surcharge on the electricity consumed by other consumers who are receiving power from this captive generating plant and are not the captive consumers.

6.3 If the CGP or Captive User(s) fails to meet the criteria of ownership and/or consumption, specified in Rule 3 of Electricity Rule, 2005 and in these Regulations, as the case may be as amended from time to time, by the end of the financial year, such CGP or Captive User(s) shall lose its Captive status for that year leading to imposition of Cross-Subsidy Surcharge and Additional Surcharge besides other charges as applicable on open access consumers which shall be payable to the concerned distribution licensee(s). The deposited Bank guarantee shall be invoked by the Distribution licensee(s) to cover the charges of Cross-Subsidy Surcharge and Additional Surcharge besides other charges as applicable on open access consumers.

7. Detailed Procedure

The detailed procedure for verification of status of CGP and captive users in pursuance to the provision of the Electricity Rules, 2005 and this regulation is placed at Annexure-(I).

8. Power to remove difficulties

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Regulation, the State Commission may, by general or specific Order, make such provisions not in consistent with the provisions of the Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty.

9. Power to amend

The Commission may, at any time vary, alter, modify, or amend by notification any provision of this Regulations.

By Order of the Commission,
Sanjay Kumar Singh,
Secretary.

Annexure-I (Detailed Procedure)

1. This procedure provides a methodology for verification of status of captive generating plants and captive users, when consumers import power from their captive generator(s) located either within the State or outside the State as per conditions specified in sub rule 1 of Rule 3 of Electricity Rules, 2005:

1.1. The CGP owners/captive users for different compositions of ownership is listed below:

(a) **Company:** company means a company incorporated under Company Act, 2013 or under any previous company law;

(b) **Association of Persons:** Formulation of companies with charitable objects, etc.; Where it is proved to the satisfaction of the Central Government that a person or an association of persons proposed to be registered under this Act as a limited company.

(c) **Special Purpose Vehicle:** “Special Purpose Vehicle” shall mean a legal entity owning, operating and maintaining a generating station and with no other business or activity to be engaged in by the legal entity.

(d) **Registered Co-operative Society:** Companies capable of being registered; For the purposes of this Part, Co-operative society, Society or any other business entity formed under any other law for the time being in force which applies for registration under this Part.

1.2. For verification of equity share holding, the documents as detailed below shall be furnished by the CGP owners/captive users for different compositions of ownership:

Sl. No.	Type of captive user	Criteria	Support Document
1	2	3	4
<i>i</i>	Single captive user	The user shall hold not less than 26% of the equity share capital having voting rights throughout the year.	A certificate from the Company Secretary, providing details of the Authorized, Issued, Subscribed and Paid-up Equity Share Capital with voting rights in the Captive Generating Company as per FORMAT along with the copy of Form – SH4 or Demat Statement, whichever is applicable and latest Annual Report of the Captive Generator and any other supporting documents.
<i>ii</i>	Partnership firm/LLP	Ownership in the captive plant shall be not less than 26% proprietary interest and control over the generating station or power plant on annual basis.	A certificate from the Company Secretary providing details of the Authorized, Issued, Subscribed and Paid-up Equity Share Capital with voting rights as per FORMAT along with the certification that there is provision in partnership deed for taking up captive generation and the copy of Form – SH4 or Demat Statement, whichever is applicable.
<i>iii</i>	AoP	The captive users shall hold an aggregate of not less than 26% of the ownership/paid up equity share capital with voting rights throughout the Year.	A certificate from registered Chartered Accountant as per FORMAT providing details of the Authorized, Issued, Subscribed and Paid-up Equity Share Capital with voting rights that the captive users shall hold in aggregate not less than 26% of the ownership/paid up equity share capital with voting rights throughout the Year.

1	2	3	4
iv	Registered Co-operative Society	Members of society shall collectively satisfy not less than 26% of the ownership on annual basis.	A certificate from District Registrar of Co-operative Society providing details of the Authorized, Issued, Subscribed and Paid-up Share Capital along with any other supporting documents.
v	SPV/ Company	The captive user(s) shall hold an aggregate of not less than 26% of the proportionate paid up equity share capital with voting rights of the units identified for captive use (i.e. the proportionate of the Equity of the company related to the generating unit or units identified as the CGP) throughout the year.	A certificate from a registered Chartered Accountant as per FORMAT providing details of the Authorized, Issued, Subscribed and Paid-up Equity Share Capital with voting rights along with any other supporting documents.

1.3–The verification of CGP status is an annual process. The documents in Para 1.2 shall also be furnished by the CGP owners, Captive users to UP Electricity Regulatory Commission at the time of annual verification of CGP status at the end of the financial year on or before 15th May of the year following. Moreover, Captive users can submit the provisional balance sheet of financial year for which assessment for captive verification can be done and can submit the latest Audited balance sheet of previous financial year's available as on 15th of May.

1.4–In case of captive user(s) receiving supply from CGP located outside the State, such captive user(s) shall forward the documents of its CGP highlighting the CGP status of the captive user(s).

2.–Verification of not less than 51% consumption by captive users:

2.1–The Net generation from CGP unit shall be the gross energy generated from the unit less aggregate auxiliary consumption.

Sl. No.	Location	Method of assessment
1	2	3
i.	CGP and its captive user(s) are co-located.	<p>(i) For CGP: Net generation from the CGP and consumption by the captive user shall be based on the reading of the meter installed for recording the generation at the injection side (“generation meter”).</p> <p>(ii) For Captive User: The electricity sourced at the consumption <i>side</i> (“consumption meter”).</p>
ii.	CGP and its captive users are located within the State (but not co-located).	<p>(i) For CGP: Based on actual injection from the CGP as per the data provided by UPSLDC.</p> <p>(ii) For Captive Users: The corresponding consumption or the actual consumption whichever is lower, based on the meter reading at the user interface with the grid as provided by UPSLDC and the distribution licensees in whose area the user(s) are located.</p>

1	2	3
iii.	The CGP and its captive user(s) is/are located in different States.	<p>(i) For CGP: Based on actual injection from the CGP as per the data provided by the respective RLDC/UPSLDC.</p> <p>(ii) For Captive User(s): The corresponding consumption or the actual consumption whichever is lower, based on the meter reading at the user interface with the grid as provided by the concerned SLDC of the recipient state(s) and the distribution licensees in whose area the user(s) are located.</p>

*Self-consumption of captive user (s) mean consumption by captive user(s) at the consumer meter of the captive generating plant adding normative transmission and wheeling losses as applicable and as approved in the ARR for the corresponding year.

2.2–The applicant shall submit the details of Gross, Auxiliary and Net-Generation from the power plant and the actual consumption made by the captive users to the “Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission” and the Distribution Licensee.

2.3–For determination of ‘Annual basis’ for the first year of declaring the plant under captive status, the date of injecting power in the grid shall be considered as a start date for the financial year for counting the Net-Generation of the plant under captive status. From the subsequent year, Net-generation from 1st April to 31st March of a financial year shall be considered for determining the captive status of the generation station.

2.4–The verification of consumption criteria of not less than 51% of net electricity generated and the test of proportional consumption of AoP and SPV, shall be done at the end of the financial year.

3. Verifying Authority:

3.1–Verification of status of CGP and captive users with respect to the criteria of consumption and equity share holding, as prescribed under the Electricity Rules, 2005 shall be done annually by the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission after the end of financial year based on the information submitted by CGP and Captive User(s) as specified by the Commission and receipt of report from the RLDC, UPSLDC/Other state SLDC (if applicable) and Distribution licensee(s).

3.2–The Commission shall get the captive consumption data claimed by the CGP verified by the respective Distribution Licensee(s), in which the consumption is said to have taken place.

3.3–The Captive generating plant or the captive user shall lose the captive status if it fails to furnish data and the documents specified by 15th May, it shall lose the captive status for the previous year and its security by way of Bank guarantee shall be forfeited in favor of Distribution licensee.(New Bank Guarantee for current year to be furnished).

4. Ceasing of Qualification of CGP:

(a) If CGPs fails to meet the requisite conditions as specified in Clause 1.2 and/or 2.1 of this procedure in a financial year, the generating plant will cease to be a Captive Generating Plant and the users will cease to be captive users and further liable to pay the applicable Cross Subsidy Surcharge and/or additional surcharge and/or late payment surcharge and/or such other charges as applicable on Open Access consumer.

5. Default by a shareholder(s):

(a) When a shareholder(s) defaults in fulfilling the consumption criteria of Rule 3, and when other captive users together do not comply with ownership criteria of 26%, the CGP will lose its captive status, and no concession shall be available to the captive consumer for that financial year.

6. Default in Payment:

(a) Non-payment of any charge or sum of money payable by the open access consumer shall be considered as non-compliance and shall be liable for action under the Electricity Act, 2003.

(b) The distribution licensee may discontinue open access after giving consumer an advance notice of 15 days without prejudice to its right to recover such charges as per applicable laws.

By Order of the Commission,
Sanjay Kumar Singh,
Secretary.

FORMAT**[To be submitted by the Captive Generating Plant]**

“CERTIFICATE ON “OWNERSHIP” AS PER RULE 3 OF ELECTRICITY RULES, 2005”

We hereby certify that the Equity Share Capital with voting rights of _____ (Name of company) having constitution as Single captive user/ Partnership firm/LLP/AoP/SPV having its registered Office at _____ satisfy the requirements under Rule 3 of the Electricity Rules 2005 for qualifying as a Captive Generation Plant with reference to “Ownership” criteria. The detailed breakup of the issued, subscribed and paid-up equity share capital, including percentage of holding in Equity Share Capital with voting rights of the Company held by captive user *vis-a-vis* other users have been tabulated below.

Equity Share Capital Captive user(s)/others with Voting rights as on

Sl. No.	Class of Share holder	Class of Equity shares	No. of Equity Shares	Value per Equity Share	Amount of Equity Share Capital	Percentage holding in Equity Share capital	No. of Voting Rights	Percentage holding in Voting Rights	Percentage holding in Equity Share Capital with Voting Rights
	Captive user(s)/ others								

Total

Please find attached the following:

Annexure

1. Copy of the latest audited balance sheet of the Captive User.

(a) Copy of the Share Certificate for the above.

(b) Copy of the SH-4 Certificate.

Place:

Date:

Signature of Chartered Accountant/Company Secretary:

Name in Block letters:

Membership No.:

Name of firm:

Firm Registration number:

[To be submitted by THE GENERATOR WHICH IS A LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP FIRM]

CERTIFICATE ON 'OWNERSHIP' AS PER RULE 3 OF ELECTRICITY RULES, 2005 FOR WHEELING UNDER CAPTIVE CATEGORY

We hereby certify that M/s. _____, a Partnership Firm having its Registered Office at _____ satisfy the requirements under Rule 3 of Electricity Rules, 2005 for qualifying as a Captive Generation Plant with reference to "Ownership" criteria as per the Partnership Deed dated _____ with reference to HT.SC No. _____ of _____ E.D.C. We confirm that the captive consumers are holding proprietary interests and control over the Captive Generation Plant.

The detailed breakup of the ownership of each partner in the Partnership Firm has been tabulated below in Table A. Further, specific breakup of the proprietary interest and control in relation to Captive Generation Plant held by captive user *vis-à-vis* other users has been tabulated below in Table B.

TABLE A:

Ownership of the Captive Generation Plant of the Partnership Firm as on

Sl. No.	Name of the partner	Capital contribution	% of capital contribution	Profit sharing Ratio	Whether Control Proportionate to Capital Contribution?	Remarks on control pattern*

TOTAL

* Please provide remarks in the relevant column whether control is proportionate to the capital contribution. Further annex the Partnership Deed of the verification of above details.

TABLE B:

Ownership of the Captive Generation Plant of the Partnership Firm as on

Type of Owner	HT. SC. NO.	EDC	% of proprietary interest in the Captive Generating Plant	Whether Control Proportionate to Proprietary interest?	Remarks on control pattern*

Captive User HT. SC. NO. EDC

Others

TOTAL

[To be submitted by the Captive users (also owners) of the Limited Liability**Partnership Firm]***Auditor's Certificate*

I hereby certify that **Captive User Name**, a company incorporated under Companies Act, 2013 (or earlier Act) and having its registered office at _____ with HT. SC.No._____ at _____ EDC is a partner with capital contribution of Rs._____ with controlling interest of _____ percentage in **Captive Power Generator Firm Name** which owns a Generating Plant with Capacity _____ under HT.SC. No._____ at _____ EDC as on date.

Please find attached the following:

Annexure

1. Copy of the latest audited balance sheet of the Captive User.
2. Copy of the latest partnership deed.

Signature :

Name in Block letters :

Membership No. :

Name of the Firm :

Firm Registration No. :

Name of the Partner : _____

Membership No. : _____

By the Order of the Commission,
SANJAY KUMAR SINGH,
Secretary,
U. P. Electricity Regulatory Commission.